

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

नगर निगम देहरादून निष्प्रयोज्य डीजल वाहन संख्या-य०१०७-५१३६(टिप्पणी द्रक) मॉडल 2001,वाहन संख्या य०१०७-५७५१ (टिप्पणी द्रक) मॉडल 2001,वाहन संख्या य०१०७-९७३९ (एस्कोर्ट लोडर) मॉडल 1998,वाहन संख्या-य०१०७-०९४९० (टाटा द्रक) मॉडल 1989,वाहन संख्या-य०१०७५०-७०७२(आईशर द्रक) मॉडल 2003,वाहन संख्या-य०१०७५१-७०७३ (स्वराज माजदा द्रक) मॉडल 2003,वाहन संख्या-७०७४ (स्वराज माजदा द्रक) मॉडल 2003, की सार्वजनिक निलामी दिनांक ०७/०१/२०१९ को अपराह्न ११:०० बजे नगर निगम देहरादून मध्यूर विहार स्थित (वर्कशॉप) में नीलामी हेतु गाठित समिति के समुद्धे वेबसाईट पर अपलोड शर्तों पर की जायेगी। वाहनों के निरीक्षण हेतु इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम देहरादून के मध्यूर विहार स्थित वर्कशॉप में निरीक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक सूचना शर्त एवं विवरण नगर निगम देहरादून की वेबसाईट  
[www.nagarnigamdehradun.Com](http://www.nagarnigamdehradun.Com) पर भी उपलब्ध रहेगा।

नगर आयुक्त  
नगर निगम देहरादून।

नीलामी की शर्तें:-

- प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली से ₹० 10000/-प्रत्येक वाहन के लिये अलग-अलग नकद धनराशि के रूप में विभाग के लेखा अनुभाग में जमा करनी होगी। बिना धरोहर राशि जमा किये कोई व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है। धरोहर राशि बोली की समाप्ति पर (उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर) वापस कर दी जायेगी।
- किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। बिना कारण बताए किसी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
- नीलामी में कोई व्यक्ति तब तक बोली नहीं बोल सकता जब तक कि नीलामी में उपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो।
- बोली के दौरान सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता के संज्ञान में आने पर बोली निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
- उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्त होने के बाद समाप्त होने के बाद सांय ०४.०० बजे तक बोली की ५० प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सक्षम अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किये जाने के ०७ दिन के भीतर बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि जमाकर, एक सप्ताह के भीतर वाहन उठाना होगा।
- अन्तिम स्वीकृति के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- वाहनों की नीलामी जहां है जैसी है कि स्थिति में है कि, आधार पर की जायेगी उच्चतम बोलीदाता को जी०१०८०१०० अलग से जमा करना होगा।
- किसी भी वाहन की बोली हेतु सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा आंकलित न्यूनतम अनुमानित मूल्य के १०% से अधिक नीचे नहीं होना चाहिए।

पत्रांक संख्या:- ८८०८०८

दिनांक:- १७/८/१८

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- नगर आयुक्त महोदय को उनके आदेश के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
- सम्पादक हिन्दूस्तान हिन्दी समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार देहरादून संस्करण में आगामी अंक में ५० sqcm क्षेत्र में प्रकाशित कराते हुये ३५ प्रतिशत छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- अमर उजाला समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपने व्यवसायिक दरों में ३५ प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए देहरादून व उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक में ५० sqcm क्षेत्र में प्रकाशित कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- आई०टी० ००५५५५ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वाहनों की सार्वजनिक निलामी सूचना नगर निगम की वेबसाईट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- नगर निगम कार्यालय नोटिस बोर्ड में चश्पा हेतु।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम देहरादून।

- सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा नगर निगम देहरादून के वाहनों का मूल्यांकन कर चूनतम मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है।

क्रमांक	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार एवं वर्ष	वर्तमान न्यूनतम अनुमानित मूल्यांकन (रु)
1	यूए०७६५-७०७२	आयशर ट्रक, 2003	87500
2	यूजी०५०-९४९६	टाटा 1210, 1989	65000
3	यूए०७-५१३६	डी०सी०एम०, 2001	68750
4	यूए०७६५०-७०७३	स्वराज माजदा, 2003	70000
5	यूए०७६५-७०७४	स्वराज माजदा, 2003	70000
6	यूपी०७६५-९७३९	लोडर, 1998	84000
7	यूए०५०-५७५१	टिप्पर, 2001	38000
8	डी०सी०एम०मशीन	1994	60000

  
 मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
 नगर निगम देहरादून।